उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-116/2015/4317/92-1-2015-51(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

समता समिति उ0प्र0 (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0-71/77/38-9-92-93एम/89, दिनांक 29-12-92 एवं संगत अन्य शासनादेशों के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में गठित 'समिति' की संस्तुतियों के अनुक्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सहायक/अधिशासी अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर 05 वर्ष की सेवा के उपरान्त अनुमन्य कराये गये प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अधोतालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि के स्थान पर, उनके विनियमितीकरण की तिथि के अनुसार स्तम्भ-6 में उल्लिखित संशोधित तिथि से उक्त प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराये जाने तथा सहायक अभियंता के पद पर 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त अधोतालिका के स्तम्भ-7 में उल्लिखित तिथि से स्तम्भ-8 में उल्लिखित द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक (वेतनमान रू0 3700-5000) अनुमन्य कराये जाने/न कराये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	नाम/पद नाम	विनियमिती - करण की तिथि	सहा0 अभि0 के पद पर 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त अनुमन्य कराया गया प्रथम चिन्हित वेतनमान /तिथि		विनियमितीकरण की तिथि के अनुसार प्रथम चिन्हित वेतनमान की संशोधित तिथि	सहा0 अभि0 के पद पर 18 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय	
			तिथि	अनुमन्य वेतनमान	संशोधित तिथि	तिथि	अनुमन्य वेतनमान/ अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	श्री धीरेन्द्र सहाय, सहा0 अभि0	10-8-83	23-3-86	3000-4500	---	23-3-99	श्री सहाय को दिये गये दण्डों के दृष्टिगत उनकी सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।
2	श्री कैलाश नाथ पाठक, सहा0अभि0 (से0नि0 दि0 30-6-09)	23-8-86	07-2-86	3000-4500	23-8-86	07-2-99	निर्देश या0सं0-1967/2010 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-5-2012 के अनुपालन में सम्यक् विचारोपरान्त श्री पाठक को दिये गये दण्डों (वर्ष 89-90 से 98-99 की अवधि में) के दृष्टिगत उनकी सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
3	श्री राजीव कुमार गोयल, सहा0अभि0 (मृतक 02-12-2001)	23-8-86	22-7-86	3000-4500	23-8-86	22-7-99	श्री गोयल को दिये गये दण्डों (वर्ष 89-90 से 98-99 की अवधि में) के दृष्टिगत उनकी सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
4	श्री जग भूषण शर्मा, अधि0अभि0	लो0से0आ0	14-3-94	3000-4500	---	14-3-07	3700-5000 पुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500 अनुमन्य किया जाता है।
5	श्री कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अधि0अभि0	14-12-89	16-7-90	3000-4500	---	16-7-03	3700-5000 पुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500 अनुमन्य किया जाता है।
6	श्री रिजवान साबिर, अधि0अभि0	14-12-89	19-7-90	3000-4500	---	19-7-03	3700-5000 पुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500 अनुमन्य किया जाता है।
7	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, अधि0अभि0	14-12-89	08-11-90	3000-4500	---	08-11-03	3700-5000 पुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500 अनुमन्य किया जाता है।
8	श्री रमाकान्त सिंह, सहा0 अभि0 (से0नि0 दि0 30-6-09)	17-6-92	17-5-89	3000-4500	17-6-92	19-5-02	श्री रमाकान्त सिंह को दिये गये दण्डों के दृष्टिगत उनकी सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
9	श्री सै0 अब्दुल वाहिद, सहा0 अभि0 (से0नि0 दि0 31-1-07)	17-6-92	17-6-94	3000-4500	---	04-7-99	3700-5000 पुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500 अनुमन्य किया जाता है।
10	श्री राम प्रकाश गौड, सहा0अभि0 (से0नि0 दि0 31-7-07)	17-6-92	13-7-87	3000-4500	17-6-92	13-7-2000	3700-5000 पुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500 अनुमन्य किया जाता है।
11	श्री हृदेयश मणि मिश्रा, सहा0अभि0 (से0नि0 दि0 29-2-12)	17-6-92	17-6-92	3000-4500	---	22-5-02	श्री मिश्रा को दिये गये दण्डों के दृष्टिगत उनकी सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।
12	श्री संतोष कुमार शर्मा, सहा0अभि0 (विद्युत) (से0नि0 दि0 29-2-12)	22-11-2000	22-11-2000	3000-4500	---	22-8-05	3700-5000 पुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500 अनुमन्य किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6	7	8
13	श्री मदन कुमार जैन, सहा0अभि0 (यांत्रिक) (से0नि0 दि0 31-01-07)	22-5-03	22-8-92	3000-4500	22-5-03	22-8-05	3700-5000 पुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500 अनुमन्य किया जाता है।
14	श्री आर0के0 चौरसिया, सहा0अभि0 (से0नि0 दि0 31-01-01)	17-12-96	24-4-86	3000-4500	17-12-96	23-4-99	श्री चौरसिया को दिये गये दण्डों के दृष्टिगत उनकी सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

2- उपरोक्त सहायक/अधिशासी अभियंताओं को पूर्व में अनुमन्य कराये गये प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की तिथि में संशोधन/द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की उपरोक्त स्वीकृति के अनुक्रम में उन्हें अनुमन्य धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही भी अवश्य सुनिश्चित की जाय :-

(क) ऐसे सहायक/अधिशासी अभियंता, जो सम्प्रति सेवारत हैं, उनके प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली उनके वेतन/देयकों से की जाय।

(ख) ऐसे सहायक/अधिशासी अभियंता, जिन्हें सेवानिवृत्त हुये 03 वर्ष से कम अवधि व्यतीत हुई है, उनके प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली उनके देयकों से की जाय एवं तद्नुसार उनकी पेंशन भी संशोधित करायी जाय।

(ग) ऐसे सहायक/अधिशासी अभियंता, जिन्हें सेवानिवृत्त हुये 03 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो गयी है, उनके प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली विधिक रूप से उचित न होने के दृष्टिगत उनसे वसूली की कार्यवाही न की जाय, किन्तु यदि इन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य होता है, तो तद्नुसार इनसे वसूली हेतु निर्धारित धनराशि का समायोजन इन्हें देय धनराशि की सीमा तक किया जाय तथा इनकी पेंशन भी तद्नुसार संशोधित करायी जाय।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-116 /2015/4317(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

6- संबंधित सहायक/अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।